

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक:- ८२० / ११-सी-FP/UP/Road/117639/2021, लखनऊ, दिनांक: सितम्बर २५, 2023

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,  
मीरजापुर क्षेत्र,  
मीरजापुर।

विषय:- पी०ए०म०जी०ए०स०वाई० के अंतर्गत स्वीकृत पैकेज सं०-य०पी० ६७१४५ के मार्ग चौपन महलपुर रोड से परसोई वाया खेवन्धा ओबरा डैम सम्पर्क मार्ग में प्रभावित १५.५६७ है० आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक ३४ वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में।

संदर्भ:- आपका पत्रांक-११२३ / मी०क्ष० / ३३, दिनांक 20.09.2023

महोदय,

आपके द्वारा विषयगत ऑनलाइन प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित किया गया। ऑनलाइन प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त ऑनलाइन में निम्नलिखित कमियों/अभिलेखों का आभाव पाया गया:-

#### ऑनलाइन पार्ट-१ में प्रयोक्ता एजेंसी के स्तर पर पायी गयी कमियों:-

- प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा दी जाने वाली गैर वनभूमि का Geo Referenced Digital Map & Sol Toposheet अपलोड है, किन्तु सत्यापित नहीं है।
- सी०ए० हेतु दी जाने वाली गैर वनभूमि सभी प्रकार के अतिक्रमण एवं अधिभार से मुक्त होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र अपलोड नहीं है।
- पावर ऑफ एटार्नी अपलोड है किन्तु उसमें श्री प्रशान्त यादव, अधिशासी अभियन्ता को अधिकृत किया गया है, जबकि क्रमांक-ए-३ में श्री रमेश चन्द्र कटियार का नाम फीड है तथा सभी अभिलेखों में कहीं पर श्री प्रशान्त यादव एवं कहीं पर श्री रमेश चन्द्र कटियार के हस्ताक्षर है, जोकि त्रुटिपूर्ण है।

#### ऑनलाइन पार्ट-२ में प्रभागीय वनाधिकारी के स्तर पर पायी गयी कमियों:-

- ऑनलाइन क्रमांक-१३(i) एवं १३(ii) Patch wise details for Degraded Area में दुगने अवनत वनभूमि के Geo Referenced Digital Map & Sol Toposheet के स्थान पर गैर वनभूमि Geo Referenced Digital Map & Sol Toposheet अपलोड किया गया है। अतः इसे डिलिट कर दुगने अवनत वनभूमि का सत्यापित Geo Referenced Digital Map & Sol Toposheet ऑनलाइन अपलोड करें।
- ऑनलाइन क्रमांक-१३(iv) में अपलोड प्राक्कलन ६२५ पौधों की दर से है, जोकि अमान्य है। अतः इसे ऑनलाइन से डिलिट कर कम से कम १००० पौधे प्रति है० दर से गैर वनभूमि एवं अवनत वनभूमि का प्राक्कलन सारांश सहित अपलोड करें एवं Additional Information Detail से पूर्व का त्रुटिपूर्ण प्राक्कलन डिलिट करें तथा सही धनराशि भी फीड करें।
- प्रभागीय वनाधिकारी की संस्तुति का हिन्दी भाग-२ में उपरोक्त बिन्दु-२ के अनुसार संशोधित धनराशि अंकित कर संशोधित हिन्दी भाग-२ ऑनलाइन अपलोड करें।
- पूर्ण प्रस्ताव की संशोधित पी०डी०ए०फ० फाइल अपलोड करें।

अतः उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण के पश्चात् बिन्दुवार निराकरण ऑनलाइन अपलोड कर पूर्ण ऑनलाइन प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

१५  
(अनुपम गुप्ता)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,  
उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक:- ८२० / ११-सी-FP/UP/Road/117639/2021, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा वन प्रभाग, ओबरा।
- अधिशासी अभियन्ता, पी०ए०म०जी०ए०स०वाई० खण्ड, लो०नि०वि०, सोनभद्र।

१५  
(अनुपम गुप्ता)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,  
उ०प्र०, लखनऊ।